फर्द अहकाम

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

बनाम सरोज कोटे

दस्तूल

संख्या / वर्ष : 38 / 2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7/4/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील आवेदक ने अपनी बहस में आवेदन पत्र के कथित तथ्यों व जवाब आपत्ति पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दावेदारगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द करने हेतु निवेदन किया। वकील अनावेदक ने अपनी पेश जवाब आपत्ति में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वर्ष 1954 में अनावेदकगण सं. 6 व 7 की भूमि को वर्ष 1955 की भूमि निलामी से आवेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया। इन वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि मूल वाद में आवेदन पत्र निलंबित खुदैजात रिपोर्ट हेतु विचाराधीन है तथा खुदैजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर दावा उभय पक्ष को सुनकर निस्तारित किया जाना है। अतः प्रकरण में दिनांक 12/5/2022 को इस न्यायालय द्वारा से जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दोनों पक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक कायम (स्थाई) किया जाकर पाबन्द किया जाता है कि दिनांक 12/5/22 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में उल्लेखित सरिश्ते के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के हवाले रहे। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राज	